

हरियाणा सरकार  
आबकारी तथा कराधान विभाग  
अधिसूचना

दिनांक 17 अक्टूबर, 2016

संख्या 21/एस.टी-1 /ह0अ0 6/2003/धा0 59 /2016. – हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का 6), की धारा 59 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या वैब 20/एस0टी0-1/ह0अ0 6/2003/धा0 59/2016, दिनांक 21 सितम्बर, 2016, के प्रति निर्देश से, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची ख तथा ग में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

संशोधन

हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का 6) में,-

- (i) अनुसूची ख में, खाना 1 तथा 2 के नीचे, क्रम संख्या 49 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"49क कैंसर के रोगनिदान में उपयोग हेतु टैक्नीशियम 99M जैनरेटर";

- (ii) अनुसूची ग में, खाना 1 तथा 2 के नीचे, क्रम संख्या 102(69) तथा उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

"102(69) रेडियोएक्टिव कैमिकल एलिमेन्ट्स तथा रेडियोएक्टिव 2844:00:00 "।  
आईसोटोप्स (फिसाईल कैमिकल एलीमेन्ट्स तथा आईसोटोप्स सहित) तथा इन उत्पादों से युक्त उनके कम्पाउंड्स; मिक्सचरस तथा रैजीड्यूज़ किन्तु कैंसर के रोगनिदान में उपयोग हेतु टैक्नीशियम 99M जैनरेटर शामिल नहीं है

संजीव कौशल,  
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,  
आबकारी तथा कराधान विभाग।

**HARYANA GOVERNMENT**  
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT  
**NOTIFICATION**

The 17<sup>th</sup> October, 2016

**No. 21/ST-1/H.A. 6/2003/S.59/2016.** – In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 59 of the Haryana Value Added Tax Act, 2003 (6 of 2003), and with reference to Haryana Government, Excise and Taxation Department, Notification No. Web No.20/ST-1/H.A. 6/2003/S.59/2016, dated the 21<sup>st</sup> September, 2016, the Governor of Haryana hereby makes the following amendment in Schedule B and C appended to the said Act, namely:-

**AMENDMENT**

In the Haryana Value Added Tax Act, 2003 (6 of 2003),-

- (i) in Schedule B, under columns 1 and 2, after serial number 49 and entry thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be inserted, namely:-

“49A      Technetium 99M Generators for use in diagnosis of cancer”

- (ii) in Schedule C, under columns 1 and 2, for serial number 102(69) and entry thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be substituted, namely:-

“102(69)	Radioactive chemical elements and radioactive isotopes (including the fissile chemical elements and isotopes) and their compounds; mixtures and residues containing these products <b>but not including Technetium 99M Generators for use in diagnosis of cancer</b>	2844:00:00”.
----------	--	--------------

SANJEEV KAUSHAL  
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,  
Excise and Taxation Department.